न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 23/2018

1. रजाक
2. जमाल पिसरान रोशन जाति मेव निवासी गडसोरा तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. शहीद पुत्र जुम्मा
2. अख्तर पुत्र जीवन जाति मेव निवासी ग्राम गडसोरा तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील वादीगण
श्री सतीश शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2

मुकदमा नं0 39/2018

1. शहीद पुत्र जुम्मा जाति मेव निवासी ग्राम गडसोरा तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. अख्तर पुत्र जीवना
2. रजाक
3. कमाल पुत्रगण रोशन जाति मेव निवासी ग्राम गडसोरा तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील वादी
श्री सतीश बुन्देला वकील प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक :– 22.01.2021

निर्णय

उक्त दोनों दावा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों समान है एवं आराजी भी समान है। दोनों ही दावों में प्राथमिक डिक्री भी 27.12.2019 को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर एक समान ही पारित की गई थी। इसलिए दोनों दावों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात वसिलसिले दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 30/0.31, बांके ग्राम गडसोरा तहसील पहाडी में स्थित है। हम दोनो पक्षकार आराजी के सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है और मुताबिक मनबट अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काफी अरसे से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा अपने हिस्से की आराजी में रिहायश की कर रखी है। तहसीलदार पहाडी ने कुर्रेजात कायम करते समय मुझ प्रार्थी को सूचित नहीं किया गया तथा मेरी अनुपस्थिति में रिपोर्ट कुर्रेजात कायम किये गये जो कानूनन खिलाफ है। प्रस्तुत रिपोर्ट कुर्रेजात काफी अरसे से चले आ रहे मौका व कब्जानुसार कायम नहीं किये गये है। तहसीलदार साहब द्वारा रिपोर्ट कुर्रेजात कायम करते समय मुझ प्रार्थी मुताबिक कानून सूचित करना चाहिये था तथा मौका व कब्जानुसार कुर्रे कायम किये जाने चाहिए थे जो नहीं किये गये इस प्रकार प्रस्तुत रिपोर्ट कुर्रेजात मुताबिक कानून नियमानुसार व मौका व कब्जानुसार तैयार नहीं किये गये है। निवेदन है कि आपत्ति प्रस्तुत कर रिपोर्ट कुर्रेजात को खारिज फरमाया जाकर दोनो पक्षों को सूचित करते हुए । दोनो पक्षों की उपस्थिति में मौका व कब्जानुसार रिपोर्ट कुर्रेजात कायम किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वकील वादी ने कोई जबाब पेश नहीं किया। बहस वकील फरीकेन सुनी गई।

वकील प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

वकील फरीकेन की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट कुर्रेजात एवं अन्य रिकार्ड का भी अवलोकन किया । न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.12.2019 के तहत प्राथमिक डिक्री पारित कर रिपोर्ट कुर्रेजात हेतु तहसीलदार पहाडी को आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश दिनांक 27.12.2019 का भी अवलोकन किया उक्त आदेश वकील उभयपक्षकारान की सहमति से राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश क्रमांक/रा.म./न्याय/स्था./प–51/2018/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के मुताबिक भूमि विभाजन के प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–21 के अन्तर्गत तहसीलदार पहाडी द्वारा विवादित आराजी के अच्छी में से अच्छी व बुरी में से

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

बुरी अलग–अलग राज. लगान कायम करते हुये पेश की है। कुर्रे रिपोर्ट पर स्वतंत्र गवाहों के भी हस्ताक्षर मौजूद है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 की भी मूल भावना यह है कि सभी काश्तकारों को सम्मिलित खातेदारी में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि प्राप्त हों एवं सभी को सुखाचार हेतु रास्ता भी प्राप्त हो। उक्त आदेश विधि अनुसार सही पारित किया है। इसमें हम किसी प्रकार की शुद्धि किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र वादी बाबत आपत्ति कुर्रेजात खारिज किया जाता है।

दावा वादी मुताबिक रिपोर्ट कुर्रेजात निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

1. शहीद पुत्र जुम्मा कौम मेव साकिन गडसोरा खातेदार – आराजी खसरा नम्बर 417 / 33 / 0.16 त.पूर्व लगान 1.76
2. जमाल पुत्र रोशन कौम मेव साकिन गडसोरा खातेदार– आराजी खसरा नम्बर 418 / 33 / 0.05 त.म.पूर्व लगान 0.55
3. रजाक पुत्र रोशन कौम मेव साकिन गडसोरा खातेदार– आराजी खसरा नम्बर 419 / 33 / 0.05 ता.म.पश्चिम लगान 0.55
4. अख्तर पुत्र जीवना कौम मेव साकिन गडसोरा खातेदार – आराजी खसरा नम्बर 420 / 33 / 0.05 त.पश्चिम लगान 0.55

बांके ग्राम गडसोरा तहसील पहाडी पर उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रिपोर्ट कुर्रेजात निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार फाईनल डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).